राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 862/2025

दिनेश कुमार कुकना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. नीरज पीपलोदा, अधिशाषी अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सुमित चौधरी, अधिशाषी अभियंता, कार्यालय परियोजन क्षेत्र, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया एवं श्री पुनीत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा एवं श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1, 2 व 3) को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, पीएचई द्वितीय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कार्यरत रखा जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर पीएचई द्वितीय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशाषी अभियंता परियोजना

क्षेत्र, चूरू में किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। एक अन्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर श्री सुमित चौधरी को अधिशाषी अभियंता, जिला ग्रामीण खंड (दक्षिण) बाडमेर स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये कार्यालय परियोजना क्षेत्र, चूरू में किया गया। जबकि अपीलार्थी का स्थानांतरण कहीं भी नहीं किया गया और एक अन्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा से कार्यालय मुख्य अभियंता, जयपुर में रिक्त पद पर किया गया। उनका तर्क है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर किया गया था। नगरीय विकास विभाग राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2021 को अधिशाषी अभियंताओं के पद पर पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि *''भविष्य में यह सुनिश्चित करावें इस विभाग की पूर्व अनुमति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत अथवा इस विभाग द्वारा मांग किये जाने पर ही किसी अभियंता का पदस्थापन इस विभाग के अंतर्गत किसी संस्था में किया जावे। विभाग की पूर्व अनुमति/सहमति के अभाव में किये गये पदस्थापन में किसी भी आदेश की क्रियान्विति संभव नहीं हो सकती है।''* इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के लिये आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 23.01.2025 को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की प्रतिनियुक्ति पर सेवायें लेने हेतु मार्गदर्शन मांगा गया। इससे स्पष्ट है कि बिना अनुमति/सहमति के निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रतिनियुक्त किया गया। इस प्रकार ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी डॉ. अजय कुमार शर्मा वाले मामले में ऐसे समायोजन को अनुचित माना है। इस प्रकार जारी किया गया उक्त आलोच्य आदेश नियम एवं विधि के विपरीत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1, 2 व 3) को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, पीएचई द्वितीय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिये। अपीलार्थी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर

जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे पदस्थापन के संबंध में खंडपीठ द्वारा याचिका संख्या 495/2020 निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर बनाम मिसेज स्वाती भटनागर वाले मामले में उक्त याचिका को स्वीकार किया गया और एकलपीठ के स्थगन आदेश को अपास्त किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। प्रशासनिक एवं जनहित की दृष्टि से उसकी कहीं पर भी सेवायें ली जा सकती हैं। आलोच्य आदेश उसके मूल विभाग पीएचईडी द्वारा जारी किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत अधिशाषी अभियंता के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में पदस्थापित किया गया है, जो एक्स कैडर में स्वीकृत पद है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता द्वारा भरा जाता है। अपीलार्थी को एक ही स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और दो वर्ष पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो प्रशासनिक आधार पर किया गया है। दौराने बहस यह भी कथन है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्वीकृति के संबंध में दिनांक 02.04.2025 को आदेश जारी किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की प्रतिनियुक्ति पर सेवायें प्राधिकरण में ले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई और पूर्व में कार्यरत अभियंता को कार्यमुक्त कराये जाने का भी सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किये गये। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन नियमानुसार किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर पीएचई द्वितीय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशाषी अभियंता परियोजना क्षेत्र, चूरू में किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रतिनियुक्ति

पर किया गया था। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को आदेश दिनांक 21.05.2021 के विपरीत जाकर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 21.05.2021 जिसमें अंकित किया गया है कि :– *''भविष्य में यह सुनिश्चित करावें इस विभाग की पूर्व अनुमति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत अथवा इस विभाग द्वारा मांग किये जाने पर ही किसी अभियंता का पदस्थापन इस विभाग के अंतर्गत किसी संस्था में किया जावे। विभाग की पूर्व अनुमति/सहमति के अभाव में किये गये पदस्थापन में किसी भी आदेश की क्रियान्विति संभव नहीं हो सकती है।''* इस प्रकार उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुये नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2025 जारी किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानांतरण/पदस्थापन पदोन्नति उपरांत उसके मूल विभाग द्वारा अधिशाषी अभियंता के पद पर नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण में अधिशाषी अभियंता के पद पर वर्ष 2023 से लगभग 2 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्यहित में ली जानी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में नियमानुसार आदेश जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिस पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू नहीं किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)